न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला–अजमेर (राज0)
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 09 सन् 2020

श्री बालू पुत्र श्री बजरंगसिंह जाति दरोगा निवासी ग्राम जामोला तहसील मसूदा जिला–अजमेर राज0

––––––प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए भू–धारक एवं लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय मसूदा जिला अजमेर।

–––––अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

आदेश दिनांक 10.03.2021

संक्षिप्तः प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया है, कि मौजा जामोला पटवार हल्का जामोला तहसील मसूदा में खसरा नंबर 1644/2705 रकबा 04–10–00 स्थित है, उक्त भूमि पर प्रार्थी बतौर मालिक स्वामी काबिज चला आ रहा है। प्रार्थी की खातेदारी की भूमि में आवागमन हेतू रास्ता सरकारी भूमि खसरा नंबर 2627/1644 में से होकर जाया जाता है, तथा उक्त रास्ते की भूमि राजस्व रेकार्ड में सरकारी खाते में दर्ज तथा प्रार्थी के खातेदारी खेत तक आवागमन का कदीमी रास्ता बना हुआ है, जिसका प्रार्थी उपयोग करते आ रहे है। प्रार्थी का उक्त भूमि में सुखाधिकार आवागमन अधिकार निहित था तदनुसार उक्त भूमि येनकेन निरन्तर उपयोग उपभोग में लिये जाने से प्रार्थी के पक्ष में पूर्णतया अथवा माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार कुछ भाग में रास्ता उद्घोषित किया जाना न्यायोचित है तथा प्रार्थी राजकीय दरो से डी0एल0सी0 भुगतान हेतू सहमत है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 11.9.2019 को राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज कराने हेतू तहसीलदार मसूदा को प्रार्थना पत्र दिया किन्तु अप्रार्थी ने न्यायालय के आदेश के अभाव में रास्ते का अमल दरामद करने से इन्कार कर दिया इसलिये इस प्रार्थना पत्र की आवश्यकता हुई है, अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है, कि प्रार्थी की खातेदारी में आने जाने के लिये सरकारी भूमि खसरा नंबर 2627/1644 में रास्ता दिया जाकर उसके तरमीम किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ने अपने पत्र कमांक/42/2020/6527 दिनांक 31.12.2020 के तहत रिपोर्ट पेश कर कथन किया है, कि भूमि खसरा नंबर 1644/2705 प्रार्थी की खातेदारी की है जिसके पास एंव मुख्य सडक से लगता हुआ एक डोटेड रास्ता राजस्व नक्शे में दर्ज है परन्तु मौके पर उक्त रास्ता बन्द है अस्तित्व में नहीं है। प्रार्थी वर्तमान में अपने खेत में आने जाने के लिये खसरा नंबर 2627/1644 में से रास्ते का उपयोग कर रहा है, जिसकी किस्म बीड है। उक्त सरकारी भूमि में से होकर आने जाने का एक मात्र रास्ता है जो मुख्य सडक तक जाता है अन्य कोई रास्ता नहीं है। सरकारी भूमि खसरा 2627/1644 में से प्रस्तावित रास्ते से प्रभावित रकबा 67 फीट बाई 30 फीट 2010 वर्गमीटर यानि 2 बिस्वा 6 बिस्वांसी प्रभावित होगी जो असिचिंत है।

प्रकरण में बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के कथनो को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अप्रार्थी ने अपनी रिपोर्ट के अनुसार कथन किये गये।

...............लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2021.04.05 16:23:12 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 09 सन् 2020
श्री बालू बनाम राजस्थान सरकार
// 2 //

मेरे द्धारा पत्रावली का अद्धोपांत अवलोकन किया गया बाद अवलोकन प्रार्थी ने अपनी खातेदारी की भूमियों में आने जाने हेतू मात्र खसरा नंबर 2627/1644 सरकारी भूमि में रास्ता दिलाये जाने का कथन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेज जमाबंदी संवत 2073 से 2076 मे खसरा नंबर 1644/2705 प्रार्थी के नाम खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। जमाबंदी संवत 2073 से 2076 में खसरा नंबर 2627/1644 राज. सरकार सुरक्षित बीड दर्ज चली आ रही है। तथा अप्रार्थी ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट कथन किया है, कि खसरा नंबर 1644/2705 में प्रार्थी का आने जाने का कोई रास्ता विद्यमान नही है। किन्तु तहसीलदार द्धारा जो रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है उसमें प्रार्थी के आने जाने हेतू रास्ता खसरा नंबर 2627/1644 में होना अंकित किया गया है, ऐसी स्थिति में उक्त दस्तावेजी विवेचन के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थीया की खातेदारी की मौजा जामोला पटवार हल्का जामोला तहसील मसूदा की भूमि खसरा नंबर 1644/2705 में आने–जाने हेतु रास्ता बाबत खसरा नम्बर 2627/1644 में से रकबा 00–02–06 हैक्टयर को सिवायचक आम रास्ता अंकित किये जाने के आदेश पारित किए जाते हैं। प्रार्थी से नियमानुसार उक्त रकबे की रांशि प्राप्त की जाकर राजकोश में जमा करने के पश्चात् उक्त रास्ते की भूमि को आम रास्ता सिवायचक राजस्व अभिलेखों में अंकित किया जावे तथा राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम किया जावे। जिस पर समस्त व्यक्ति आने–जाने हेतु उपयोग कर सकेंगे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

आदेश आज दिनांक 10.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहनलाल खटनावलिया)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी मसूदा

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर) राज.

Signature Not Verified

Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2021.04.05 15:23:12 IST
Reason: SelfAttested